(122)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/07/2020/एस–1/122 **दिनांक : 01.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली के माननीय उप–राज्येपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को अन्य राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के रेजीडेंट कमिश्नरों के साथ नियमित आधार पर संवाद तथा समन्वय स्थापित करने और राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की वजह से दिल्ली में फंसे अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के निवासियों से संबंधित मामलों/समस्याओं के समाधान के लिए त्ववरित कार्रवाई/सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के आदेश संख्या 140 (एफ.नं. 8/25/2016/एस–1) दिनांक 15.04.2020 के माध्य म से नोडल अधिकारी नामित किया है।

और जबकि, केन्द्रीय गृह सचिव ने अपने आदेश सं.40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 29.04.2020 के माध्यकम से (प्रतिलिपि संलग्नि) सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने–अपने क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्या लोगों को लाने–लेजाने की अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त 29.04.2020 के उक्त आदेश से सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारी नामजद करने तथा इस तरह के फंसे हुए लोगों को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकल बनाने की भी सलाह दी गयी है।

और जबकि, केन्द्रीय गृह सचिव ने आदेश सं. 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 01.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्नक) के जरिए विभिन्न संस्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्ये लोगों को रेल मंत्रालय द्वारा संचालित विशेष ट्रेनों के जरिए लाने–लेजाने की इजाजत दे दी है। आदेश में रेल मंत्रालय से इन लोगों को लाने–ले जाने के कार्य में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ तालमेल के लिए नोडल अधिकारी/अधिकारियों को नामजद करने की भी व्यिवस्थास की गयी है।

अतः अब केन्द्रीय गृह सचिव के दिनांक 29.04.2020 के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त् शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताबक्षरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राज्य कार्यपालक समिति के अध्यक्ष की हैसियत से एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता हैः

(1) श्री पी.के. गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को लोगों को लाने–लेजाने और समूची प्रक्रिया में तालमेल के लिए दिल्ली का राज्य नोडल अधिकारी नामित किया जाता है जो यह कार्य संशोधित समेकित दिशा निर्देशों की धारा 17 की उप–धारा (iv) और (v) में समझाए गये तरीके से विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के उपर्युक्त नोडल अधिकारियों और रेजीडेंट कमिश्नरों के साथ समन्वय करेंगे।

(2) श्री मुक्तेश चंदर, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दिल्ली पुलिस का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है जो फंसे हुए लोगों को दिल्ली से अन्य संबंधित राज्यों/केन्द्रा शासित प्रदेशों को और अन्यज राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से दिल्लीद लाने–लेजाने के लिए, स्थिति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के पुलिस विभाग की सभी सहायता/मदद और वांछित लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएंगे।

(3) दिनांक 15.04.2020 के उपयुक्त आदेश के द्वारा नियुक्तं निम्नलिखित नोडल अधिकारियों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे श्री पी.के. गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और श्री मुक्तेश चंदर, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को, दिल्ली् और दिल्ली से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को लाने–लेजाने के कार्य को सुचारु रूप से संपन्न करने में सभी प्रकार की मदद और सहायता प्रदान करें। निम्नलिखित नोडल अधिकारी भी विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त संबंधित राज्यों/केन्द शासित प्रदेशों के समकक्ष नोडल अधिकारियों तथा रेजीडेंट कमिशनों के साथ फंसे हुए लोगों को उनसे संबंधित राज्यों/केन्द शासित प्रदेशों को लाने–लेजाने में सभी जरूरी मदद/सहायता तथा सूचनाएं उपलब्ध कराने के कार्य में समन्वय करेंगे।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम और बैच	सौंपे गये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1.	श्री मधुप व्यास, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2000)	1. उत्तराखंड 2. हिमाचल प्रदेश 3. गोवा 4. के.शा.प्र. जम्मू-कश्मीर 5. के.शा.प्र. लद्दाख 6. के.शा.प्र. दादरा और नगर हवेली 7. के.शा.प्र. दमण और दीव
2.	श्री निखिल कुमार, आई.ए.एस (एजीएमयूटी-2002)	1. मध्य प्रदेश 2. छत्तीस गढ़
3.	श्री अमित सिंग्ला, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2003)	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिज़ोरम 6. नगालैंड 7. त्रिपुरा 8. सिक्किम
4.	सुश्री गरिमा गुप्ता, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2004)	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. के.शा.प्र. चंडीगढ़

5.	श्री डी.एन. सिंह, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2005)	1. उत्तर प्रदेश
6.	श्री उदित प्रकाश राय, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2007)	1. गुजरात 2. राजस्थान 3. महाराष्ट्र
7.	श्री अज़ीमुल हक, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2007)	1. झारखंड
8.	श्री एस.बी. शशांक, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2007)	1. बिहार
9.	श्री सी. उदया कुमार, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी-2010)	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक 3. केरल 4. तमिलनाडु 5. तेलंगाना 6. के.शा.प्र. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह 7. के.शा.प्र. लक्ष द्वीप 8. के.शा.प्र. पुदुच्चेरी
10.	श्री अरुण मिश्रा, आई.ए.एस.	1. पश्चिम बंगाल 2. ओडिशा

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली।

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :

1. पुलिस आयुक्त दिल्ली।
2. श्री पी.के. गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. श्री मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त दिल्ली पुलिस।
4. सभी नोडल अधिकारी, सेवा विभाग के आदेश सं. 140 दिनांक 15.04.2020 के लिए नियुक्त।
5. प्रधान सचिव (राजस्व)/मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. प्रबंध निदेशक, दिल्ली, डीटीटीडीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. राज्य/केन्द शासित प्रदेशों के समस्त रेजीटेंड कमिश्नर।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. निदेशक सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

8. सचिव, माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

9. अपर मुख्य सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

10. सिस्टम अनेलिस्ट, संभागीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, को इसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

11. गार्ड फाइल